

बिजनेस पार्कों में होंगी न्यूनतम दो ग्लोबल कंपनियां

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में बनने वाले बिजनेस पार्कों को लेकर सरकार ने नई शर्तें तय की हैं। अब हर बिजनेस पार्क में कम से कम दो फार्च्यून या ग्लोबल कंपनियों को लाना जरूरी होगा। इसका मकसद राज्य में बेहतर निवेश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार, इन पार्कों को विकसित करने का काम सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा, जिनकी वित्तीय क्षमता कम से कम 1000 करोड़ रुपये हो। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजनाएं समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हों।

सरकार हर जिले में बिजनेस पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। इन पार्कों को एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा, ताकि उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके और लॉजिस्टिक्स लागत कम हो। साथ ही

1000 करोड़ क्षमता वाली कंपनियों को ही मिलेगा विकास का जिम्मा

निवेश बढ़ाने और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस

बिजली, पानी, सीवरेज, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसी सुविधाएं विश्वस्तरीय होंगी। इन बिजनेस पार्कों में आईटी, मैनुफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) और स्टार्टअप्स के लिए अलग-अलग जोन बनाए जाएंगे। इससे बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई को भी सप्लाय चेन में शामिल होने का मौका मिलेगा।

सरकार का अनुमान है कि हर जिले में एक बिजनेस पार्क बनने और उसमें दो वैश्विक कंपनियों के आने से राज्य में बड़े स्तर पर निवेश बढ़ेगा। राज्य में दर्जनों अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का नेटवर्क तैयार होगा। इससे हजारों करोड़ रुपये का निवेश और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी



आदित्यनाथ के विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने में निजी बिजनेस पार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फार्च्यून

500 या ग्लोबल 500 कंपनियों में से न्यूनतम दो कंपनियों के लेटर ऑफ इंटेट (एलओआई) डेवलपर को लाने होंगे। इस परियोजना की सख्त और नियमित मॉनीटरिंग की जाएगी। -नंद गोपाल गुप्ता नंदी, औद्योगिक विकास मंत्री

पैदा होंगे, जिससे पलायन भी कम होगा।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, समयबद्ध मंजूरी, कर प्रोत्साहन और आसान प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी। साथ ही परियोजनाओं की नियमित निगरानी होगी और समय पर काम पूरा न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी।